सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 364 राँची, बुधवार, 4 ज्येष्ठ, 1938 (श०) / 25 मई, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 मई, 2016

संख्या-एल०जी०-19/2012-100/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक-**15 मई, 2016** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

<u>झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम-2016</u>

(झारखंड अधिनियम संख्या-16,2016)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु अधिनियम-

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

अध्यायः-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-

(i) यह संशोधन अधिनियम ''झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016'' कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरत प्रभावी होगा ।

अध्यायः-2

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः-

(i) धारा-2 की उपधारा-2(ak) का प्रतिस्थापनः-

धारा-2 की वर्तमान उपधारा-2(ak) के प्रावधान ''झारखण्ड लोक सेवा आयोग का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड लोक सेवा आयोग, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-320 में वर्णित कार्यों को सम्पन्न करने एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं सम्बद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के संबंध में अनुशंसा आदि करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं ।''

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

''2 (ak) ''झारखण्ड लोक सेवा आयोग', का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड लोक सेवा आयोग, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-321 में वर्णित कार्यों को सम्पन्न करने एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं सम्बद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के संबंध में अनुशंसा आदि करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं ।''

2. धारा-34 की उपधारा-34(f) के पश्चात् एक नयी उपधारा-34(ff) का निम्न रूप से समावेशन-

''34(ff) झारखण्ड के विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति के नियम, प्रोन्नति नीति एवं उनकी सेवा शर्त्तों का निर्धारण ।''

3. धारा-36 की उपधारा-36(1) के पश्चात् एक नयी उपधारा-36(1)(A) का निम्न रूप से समावेशनः-

''36(1)(A) झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं सम्बद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों से संबंधित परिनियमों के गठन के क्रम में इस कार्य के पूरा होने के पूर्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग का भी मंतव्य प्राप्त किया जायेगा ।''

4. धारा-57 की उपधारा-57(1)के पश्चात् निम्नलिखित नये प्रावधान का समावेशनः-

''सम्बद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आयोग की अनुशंसा/अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रस्ताव/अधियाचना विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा और विश्वविद्यालय अपने मंतव्य/अनुशंसा के साथ संबंधित प्रस्ताव/अधियाचना आयोग को भेजेगा ।''

5. धारा-57 की उपधारा-57(2)(a) का प्रतिस्थापनः-

धारा-57 के वर्तमान उपधारा-57(2)(a) का प्रावधान,

''57(2)(a) झारखण्ड लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष एक योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा जिसे झारखण्ड पात्रता परीक्षा कहा जायेगा। इस कार्य हेतु यह सिर्फ वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो इस हेतु निर्मित परिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं ।

फिर भी ऐसी परीक्षा यू0जी0सी0 के द्वारा निर्गत रेग्युलेशन या दिशा-निर्देश के आलोक में आयोजित की जायेगी ।''

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

''57(2)(a) झारखण्ड लोक सेवा आयोग/विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष एक योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा, जिसे झारखण्ड पात्रता परीक्षा कहा जायेगा। इस कार्य हेतु यह सिर्फ वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित कर सकता है, जो इस हेतु निर्मित परिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं ।

फिर भी ऐसी परीक्षा यू0जी0सी0 के द्वारा निर्गत रेग्युलेशन या दिशा-निर्देश के आलोक में आयोजित की जायेगी ।''

6. धारा-57 की उपधारा-57(2)(b) का प्रतिस्थापनः-

धारा-57 की वर्तमान उपधारा-57(2)(b) के प्रावधान,

'' 57(2)(b) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में व्याख्याता की नियुक्ति हेतु आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो बिहार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं/या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/काउंसिल फॉर जूनियर साइंटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च द्वारा व्याख्याता /जूनियर रिसर्च फैलो हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा पास हो और/या 31 दिसम्बर, 1993 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त कर लिया हो और या 31.12.92 तक एम0फिल0 की उपाधि प्राप्त कर लिया हो एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय /अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगी। विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति के दोगुनी होगी परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा ।

बशर्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण नियम के अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा ।''

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

'' 57(2)(b) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/झारखण्ड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगी। विषयवार

योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति के दोगुनी होगी, परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा।

बशर्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा ।''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

25 मई, 2016

संख्या-एल०जी०-19/2012-101/लेज-- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-**15 मई, 2016** को अनुमत **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

The Jharkhand State Universities (Amendment) Act, 2016

(Jharkhand Act-16,2016)

AN ACT TO AMEND THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES ACT 2000 (ADOPTED)

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 67th year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-1

Preliminary

1. Short title, Jurisdiction and commencement-
   1. This Act may be called "the Jharkhand State Universities (Amendment) Act, 2016."
   2. Its Jurisdiction will be whole of the State of Jharkhand.
   3. It shall come into force at once.

CHAPTER-2

The Jharkhand State Universities Act-2000(adopted) is amended as follows :-

1. Substitution of sub section 2(ak) of Section-2 :-

   The existing Provision in sub section 2(ak) :- "The Jharkhand Public Service Commission means the Jharkhand Public Service Commission constituted by the State Government for discharging functions as contained in Article 320 of the Constitution of India and entrusted with the powers for making recommendations, etc. of teachers and officers of Universities and Colleges (Constituent and Affiliated)"

   Be substituted by the following provision ,

"2(ak) 'The Jharkhand Public Service Commission' means the Jharkhand Public Service Commission constituted by the State Government for discharging functions as contained in Article 321 of the Constitution of India and entrusted with the powers for making recommendations, etc. of Teachers and Officers of Universities and Colleges (Constituent and Affiliated)"

2. In Section 34, a new sub section 34(ff) is inserted after sub-section 34(f) as follows:-

"34(ff) preparation of recruitment rules and promotion policy including service conditions of Teachers and Officer of the Universities of Jharkhand and their Constituent and Affiliated Colleges"

3. In Section- 36, a new sub section 36(1)(A) is inserted after sub-section 36(1) as follows:-

"36(1)A- For making Statutes relating to Appointment/Promotion and Service conditions of the Teachers and Officers of the Universities of Jharkhand and their Colleges (Constituent and Affiliated), consultation shall be done with the Jharkhand Public Service Commission, before its finalization."

4. In Section-57 after sub-section 57(1) the following new provision is inserted:-

"For obtaining the recommendation/ approval of the Commission the Governing Body of the Affiliated College shall send its proposal/ requisition to University, who with its opinion/ recommendation shall send the proposal/ requisition to the Commission."

5. Substitution of sub section 57(2)(a) of section 57:-

The existing Provisions in sub section 57(2)(a) :- "The Jharkhand Public Service Commission shall hold every year a qualifying test for appointment of lecturers in the University/Constituent Colleges/Affiliated Colleges which shall be known as the Jharkhand Eligibility Test. For this purpose it shall invite subject wise application from only such candidates who fulfill the prescribed qualifications as laid down in the Statute framed in this regard.

However, such test shall be conducted having regard to any regulation framed or direction issued by the University Grants Commission in this regard."

Be substituted by the following provision,

"57(2)(a) The Jharkhand Public Service Commission shall hold every year a qualifying test for appointment of Assistant Professor in the Universities/Constituent Colleges/Affiliated Colleges which shall be known as the Jharkhand Eligibility Test. For this purpose it shall invite subject wise application from only such candidates who fulfill the prescribed qualifications as laid down in the Statute framed in this regard.

However, such test shall be conducted having regard to any regulation framed or direction issued by the University Grants Commission in this regard."

6. Substitution of sub section 57(2)(b) of Section 57:-

The existing Provisions in Section 57(2)(b) :- "For appointment of lecturers in the University and the Constituent Colleges the Commission shall invite applications from candidates who have passed the Bihar Eligibility Test and/or have cleared the Eligibility Test for lectureship/Junior Research Fellow conducted by the University Grants Commission/Council for Scientific and Industrial Research and/or have already been awarded Ph.D degree in 31st December 1993 and/or have already been awarded M.Phil degree by 31st December, 1992 and on the basis of interview shall prepare subject wise merit list against the vacancies notified by the University/Constituent Colleges and such list shall remain valid for a period of one year from the date of its approval. The subject wise merit list shall consist of twice the number of vacancies, but the Commission shall send in order of merit only one name at a time to the University for appointment against a single vacancy:

Provided that the Commission shall recommend names to the University from the merit list in conformity with the reservation roster prepared and sent by the university in accordance with the law relating to reservation in appointment in force in the State."

Be substituted by the following provision,

" 57(2)(b) For appointment of Assistant Professor in the Universities and the Constituent Colleges, the Commission shall invite applications from the candidates, who have passed the National Eligibility Test conducted by University Grants Commission/ Jharkhand Eligibility Test (JET) for being considered for the appointment as Assistant Professor, and on the basis of interview, shall prepare subject wise merit list against the vacancies notified by the University/Constituent Colleges and such list shall remain valid for a period of one year from the date of its approval. The subject-wise merit list shall consist of twice the number of vacancies, but Commission shall send in order of merit only one name at a time to the University for appointment against a single vacancy:

Provided that Commission shall recommend names to the University from the merit list in conformity with the reservation roster prepared and sent by the University in accordance with the law relating to reservation in appointment in force in the State."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 364—50 ।